रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2015/फाल्गुन 26, 1936
No. 583] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2015/PHALGUNA 26, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2015

का. आ. 774(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और क्रोएशिया गणराज्य की सरकार के बीच एक करार एवं प्रोतोकोल (जिसे इसके बाद कथित करार एवं प्रोतोकोल कहा गया है) जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है, पर 12 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे;

2. और जबकि, उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 6 फरवरी, 2015 है, जो कि करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के अनुसार, उक्त करार और प्रोतोकोल को लागू करने के लिए संबंधित देशों के कानूनों के द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तिथि के तीस दिन बाद की तारीख है;

3. और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 3 के खंड (ख) में व्यवस्था है कि उक्त करार के उपबंध, भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न आय के संबंध में लागू होंगे।

4. इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि भारत गणराज्य की सरकार और क्रोएशिया गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के कथित करार और प्रोतोकॉल के सभी उपबंध, जो इसके संलग्न में दिए गए हैं, भारत संघ में अप्रैल, 2016 की पहली तारीख से, जो उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, के अगले अनुवर्ती राजकोषीय वर्ष की पहली तारीख है, से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 24/2015/ फा. सं. 501/09/1995-एफटीडी-I]

अखिलेश रंजन, संयुक्त सचिव

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और

राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

क्रोशिया गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य और क्रोशिया गणराज्य की सरकार आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार उन करों पर लागू होगा जो एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए जाते हैं, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।

2. सकल आय अथवा आय के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय पर लगने वाले करों के रूप में माने जाएंगे, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाने वाले करों के साथ-साथ उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों अथवा मजदूरियों की सकल रकम पर लगने वाले करों की राशि शामिल है ।

3. जिन वर्तमान करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

(क) भारत में,

आयकर और उस पर लगने वाला कोई अधिभार;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);

(ख) क्रोशिया में :

(i) लाभ कर; और

(ii) आयकर;

(जिन्हें इसके बाद "क्रोशियन कर" कहा जाएगा);

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समरूप करों पर भी लागू होगा जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद पैराग्राफ 3 में संदर्भित विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

अनुच्छेद -3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "भारत" पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र तथा उसमें इसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसमय सहित भारतीय कानून के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारी, अन्य अधिकारी तथा क्षेत्राधिकार हैं;

(ख) "क्रोशिया गणराज्य" पद से अभिप्रेत है - क्रोशिया गणराज्य का राज्य क्षेत्र तथा क्षेत्रीय समुद्र की बाहरी सीमा के समीप वे क्षेत्रीय समुद्र, जिसमें समुद्र तल एवं उसकी भूमि भी शामिल है, जिस पर क्रोशिया गणराज्य अन्तरराष्ट्रीय कानून (और क्रोशिया गणराज्य के कानूनों) के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है;

(ग) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई ऐसी अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता है;

(घ) "कम्पनी" पद से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(ड.) " एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(च) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा परिचालित कोई जलयान अथवा वायुयान, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" पद का अभिप्राय है : -

(i) भारत में : केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ii) क्रोशिया गणराज्य के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ज) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता अथवा संस्था, जिसे अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(झ) "वित्तीय वर्ष" पद का अर्थ है :

(i) भारत के मामले में : अप्रैल के प्रथम दिन को शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष;

(ii) क्रोशिया के मामले में : कैलेण्डर वर्ष ;

(ञ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय अथवा क्रोशियन कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें कोई ऐसी रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिनके लिए यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड या जुर्माने को निरूपित करती है;

(ट) " एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार क्रोशिया गणराज्य अथवा भारत गणराज्य से है ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी पद का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो और जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य मानदंड से वहां पर कर लगाया जा सकता है । इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में स्थित स्रोतों से आय के संदर्भ में ही कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस राज्य जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

3. जहां पैरागाफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ) कोई कार्यशाला;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;

(छ) कोई बिक्री बाजार;

(ज) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो; और

(झ) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ।

3. कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण कार्य अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलापों को तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 12 महीने से अधिक की अवधि तक चलते रहते हों ।

4. किसी उद्यम के लिए यह माना जाएगा कि उसका किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है और वह उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है यदि वह उस राज्य में खनिज तेलों के पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण या दोहन के संबंध में सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान करता है अथवा उसके लिए या उसमें प्रयुक्त होने वाले संयंत्र और मशीनों की किराए पर आपूर्ति करता है ।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :-

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथव डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(ड.) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ड.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान के समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट के अलावा कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता हो, एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का ऐसे कार्यकलापों के संबंध में, जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को:-

(क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों, जिनका यदि किसी निश्चित कारोबारी स्थान से प्रयोग किया जाए तो उस बात से ही उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा

(ख) उसे ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो; अथवा

(ग) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से उस उद्यम के लिए ही अथवा उस उद्यम पर नियंत्रण रखने वाले अथवा उस उद्यम द्वारा नियंत्रित होने वाले अथवा उस उद्यम के समान ही नियंत्रण के अधीन आने वाले उद्यम अथवा अन्य उद्यमों के लिए आम तौर से आर्डर प्राप्त करता रहता हो।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनर्बीमा के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होने तभी माना जाएगा, यदि वह दूसरे राज्य के राज्य-क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा किसी ऐसे स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता हो ।

8. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

9. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस वजह से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी कम्पनी का स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो अर्थ उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार, जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य

कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नाव, वायुयान और मोटरकार अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अध्यधीन, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाभ उद्भूत हुए माने जाएंगे जिनके होने की तब अपेक्षा रहती है जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और जो उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता हो जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, भले ही वे उस राज्य के कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और सीमाओं के अध्यधीन उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों ।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

6. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां, उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

अंतरराष्ट्रीय यातायात

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाली आय केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी ।

2. अंतरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए जा रहे कंटेनरों के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा उन्हें किराये पर देने (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर और अन्य उपस्कर शामिल हैं) से किसी परिवहन उद्यम, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, के द्वारा प्राप्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी, जब तक कि कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर नहीं किया जाता है ।

3. यदि जहाजरानी उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान किसी जलयान पर है, तब इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित होना माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बन्दरगाह स्थित है अथवा ऐसा कोई घरेलू बन्दरगाह नहीं है तो वह ऐसे संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसका जलयान का संचालक निवासी है ।

4. इन अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त आय के रूप में माना जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

5. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार उस पर कर लगाता है जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें वे शर्तें होती जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तो दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) लाभांश की सकल राशि का 5 प्रतिशत, यदि कंपनी का हितभागी स्वामी (सहभागी को छोड़कर) जो लाभांश अदा करने वाली कंपनी की पूंजी का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्षत: रखता है;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत ।

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इन परिसीमाओं को लागू करने के तरीके का निपटान करेंगे ।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण दावे न हों, और अन्य ऐसी निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे ।

जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, सिवाय इसके कि जो लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाता हो, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है । वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कम्पनी के अवितरित लाभ पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस परिसीमा को लागू करने के तरीके का निपटान करेंगे ।

3. पैराग्राफ (2) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता हो :

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का सैन्ट्रल बैंक अथवा कोई अन्य बैंक अथवा सरकारी वित्तीय संस्थान/एजेंसियाँ, जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच परस्पर सहमति बनती हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द का अभिप्राय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी

प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज अर्जित हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा उस राज्य का एक निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगी के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियाँ एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्‌भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्‌भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ-फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें अथवा पुन:प्रसारण के अन्य साधन शामिल हैं, इलैक्ट्रानिक मीडिया के किसी स्वरूप के जरिए सामान्य जनता के लिए प्रसारण हेतु सैटलाइट अथवा केबल प्रसारण किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अभिप्राय - तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सहित कोई प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का एक निवासी हो। तथापि, जहा रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय रहेगा।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण से संविदाकारी राज्य के एक उद्यम द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. यदि किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी;

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक दिन के लिए हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, शल्य-चिकित्सकों, दन्त-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित गतिविधियों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य में किया गया दौरा एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा मुख्य रूप से समर्थित हों । ऐसे मामले में, आय केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी जिसका कि वह मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा किए गए पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिकों पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हैं और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन हेतु उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उनमें से उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तभी कर लगेगा यदि उक्त व्यष्टि उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त ऐसे पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद – 20

विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा कारोबार प्रशिक्षु को जो दूसरे किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :-

(क) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसे की गई अदायगियों पर; और

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस दूसरे राज्य में रोजगार से अधिकतम 1000 अमेरिकी डालर अथवा उसके समकक्ष, राशि के पारिश्रमिक पर, जैसा भी मामला हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन सीधे उसके अध्ययन से संबंधित है अथवा उसके भरण-पोषण के प्रयोजन से किया गया है ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो। परन्तु किसी भी स्थिति में, किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक समय के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद – 21

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक अथवा शोधकर्ता, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन करने अथव शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था उस दूसरे राज्य में उसके आगमन की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त ऐसे किसी भी पारिश्रमिक पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसे शोधकार्य मुख्य रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो ।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी तभी माना जाएगा जब वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी रहा हो ।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "मान्यता प्राप्त संस्थान" से तात्पर्य ऐसे संस्थान से है जिसे इस संबंध में संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्‌भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में ही कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्रोतों से लाटरियों, वर्ग पहेलियों, दौड़ों, जिनमें घुड़दौड़ शामिल है, कार्ड गेमों और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुएबाजी अथवा किसी भी प्रकार की शर्त लगाने से आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान के अपाकरण के तरीके

1. किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्य में आय के कराधान को अभिशासित करते रहेंगे, जब तक कि इस करार में इसके विपरीत उपबंध न किए जाएं ।

2. क्रोशिया में दोहरे कराधान का निम्नलिखित तरीके से अपाकरण किया जाएगा :

जहां क्रोशिया गणराज्य का कोई निवासी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, क्रोशिया गणराज्य उस निवासी की आय पर भारत में अदा किए गए आयकर की राशि के बराबर की राशि पर कर से कटौती की अनुमति देगा। तथापि ऐसी कटौती, कटौती किए जाने से पूर्व यथा संगणित आयकर के उस अंश से अधिक नही होगी जो उस आय से उद्‌भूत होती है, जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है ।

3. भारत में दोहरे कराधान का निम्नलिखित तरीके से अपाकरण किया जाएगा :

जहां भारत का कोई निवासी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार क्रोशिया गणराज्य में कर लगाया जा सकता है, भारत उस निवासी की आय पर क्रोशिया में अदा किए गए आयकर चाहे प्रत्यक्षत: अथवा स्रोत पर काटे गए कर की बराबर की राशि पर कर से कटौती की अनुमति देगा । तथापि, ऐसी राशि जो कटौती किए जाने से पूर्व संगणित आयकर के उस अंश से अधिक नहीं होगी जो उस आय से उद्‌भूत होती है, जिस पर क्रोशिया में कर लगाया जा सकता है ।

4. आय, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाना है, उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाली कर की दर को संगणित करने के लिए हिसाब में लिया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर उन्हीं परिस्थितियों विशेष रूप से निवास के संबंध में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभ पर लगाई जाती है और न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है ।

इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार कि ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो अपने निवासियों को देता है ।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगीं जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।

4. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो । इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के ऋण-दावे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, ऐसे उद्यम के कराधेय पूंजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, उन्हीं शर्तों के तहत कटौती-योग्य होंगे, यदि वह प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को प्रदान किए गए हों ।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी प्रत्येक किस्म और विवरण के करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपलब्ध कराए गए उपायों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदाकारी राज्य में सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति न्यायोचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार निष्पन्न किसी करार को संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानू में किसी समय सीमा के होते हुए भी लागू किया जाएगा।

3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे राज्य उन मामलों में भी दोहरे कराधान को हटाने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे जिनके लिए इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। जब करार करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त हो तो ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से करों की प्रत्येक किस्म और विवरण से संबंधित आंतरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमयके प्रतिकूल नहीं हो। विशेष रूप से ऐसे करों के संबंध में धोखाधड़ी अथवा अपवंचन की रोकथाम के लिए सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसी दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया हो और आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को अधिकृत करते हों।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हों, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

3. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 2 की सीमाओं के अधीन है किन्तु

किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

4. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 2 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।

अनुच्छेद - 27

करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे । यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं ।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द " राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म और विवरण के करों, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के प्रतिकूल नहीं हैं, के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है ।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा । उस राजस्व दावे को उस अन्य राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था ।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा । वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि, जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है ।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे को प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी ।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा । इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा ।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और इससे पहले कि दूसरा संविदाकारी राज्य संगत राजस्व दावे को वसूल करके प्रथमोल्लिखित राज्य को भेजता है, संगत राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा ।

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है।

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य से दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा अथवा हटा लेगा।

8. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना;

ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हों।

अनुच्छेद – 28

राजनयिक मिशन के सदस्य और कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन के सदस्यों अथवा कौंसुली पदों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद – 29

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना के तीस दिन बाद प्रवृत्त होगा।

3. इस करार के उपबंधों को निम्न प्रभाव होगा :

(क) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में; और

(ख) क्रोशिया में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय अथवा लाभों के संबंध में।

अनुच्छेद – 30

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

(ख) क्रोशिया में : जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय अथवा लाभों के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

जाग्रेब में वर्ष दो हजार बारह के माह के 12वें दिन हिन्दी, क्रोशियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(श्रीमती प्रणीत कौर)

विदेश राज्य मंत्री

क्रोशिया गणराज्य की सरकार की ओर से

(श्री सलावको लिनिक)

वित्त मंत्री

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और क्रोशिया गणराज्य की सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी सहमत हुए हैं कि निम्नलखित इस करार के अभिन्न अंग होंगे ।

अनुच्छेद 10, 11, 12 और 13 के संदर्भ में

(क) इस करार के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य में निवासी कम्पनी, जिसमें व्यक्ति जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 50 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी की भागीदारी रखते हों, दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत लाभांशों, ब्याज, रायल्टी और पूंजीगत अभिलाभों के संबंध में करार के तहत उपलब्ध सुविधाओं के लिए हकदार नहीं होंगे । यह उपबंध वहां लागू नहीं होगा, जहां उक्त कम्पनी उस संविदाकारी राज्य में जिसकी यह एक निवासी है, में मात्र शेयरों अथवा सम्पत्ति को धारण करने के अलावा महत्वपूर्ण कारोबारी संकार्यों में लगी हुई है ।

(ख) कम्पनी, जो पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफ के तहत आय की पूर्व उल्लिखित मदों के संबंध में करार के लाभों के लिए हकदार नहीं होगी, को ऐसे लाभ अभी भी दिए जा सकेंगे, यदि संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी करार के अनुच्छेद 25 के तहत सहमत होते हैं कि कम्पनी की स्थापना और इसके कार्य संचालन पूरी तरह से कारोबारी कारणों पर आधारित हैं और इस प्रकार इसका मुख्य प्रयोजन ऐसे लाभों को प्राप्त करना नहीं है ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

जाग्रेब में वर्ष दो हजार चौदह के माह के 12वें दिन हिन्दी, क्रोशियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(श्रीमती प्रणीत कौर)
विदेश राज्य मंत्री

क्रोशिया गणराज्य की
सरकार की ओर से

(श्री स्लावको लिनिच)
वित्त मंत्री

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2015

S.O. 774(E).--- Whereas, an Agreement and Protocol (hereinafter referred to as the said Agreement and the Protocol) as set out in the Annexure to this notification, was entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Croatia for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income that was signed on the 12th February, 2014;

2. And whereas, the date of entry into force of the said Agreement and Protocol is the 6th February, 2015, being the date thirty days after the date of the latter of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Agreement and Protocol, in accordance with paragraph 1 of article 29 of the said Agreement;

3. And whereas, clause (b) of paragraph 3 of article 29 of the said Agreement provides that the provisions of the said Agreement shall have effect in India in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement and Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Croatia for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the first day of April, 2016, being the first day of the fiscal year next following the calendar year in which the said Agreement entered into force.

[Notification No.24/2015/ F. No. 501/09/1995-FTD-I]

AKHILESH RANJAN, Jt. Secy.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND FOR THE PREVENTION

OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of Inida and the Government of the Republic of Croatia

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

Have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular :

 (a) In India:

 the income tax, including any surcharge thereon;

 (hereinafter referred to as "Indian tax").

 (b) In Croatia:

 (i) the profit tax; and

 (ii) the income-tax,

 (hereinafter referred to as the “Croatian tax”);

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires :

 (a) the term “Republic of Croatia” means the territory of the Republic of Croatia as well as those maritime areas adjacent to the outer limit of territorial sea, including seabed and sub-soil thereof, over which the Republic of Croatia in accordance with international law (and the laws of the Republic of Croatia) exercises its sovereign rights and jurisdiction;

 (b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

 (c) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

 (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 (f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 (g) the term "competent authority" means:

 (i) in the case of the Republic of Croatia, the Minister of Finance or his authorized representative;

 (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorized representative;

 (h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "fiscal year" means:

(i) in the case of Croatia, the calendar year;

(ii) in the case of India, the financial year beginning on the 1st day of April;

(j) the term "tax" means Croatian tax or Indian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

(k) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of Croatia or the Republic of India as the context requires.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a sales outlet;

(h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and

(i) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.

3. A building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment only if such site, project or activity last more than 12 months.

4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

(a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

(C) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same control, as that enterprise.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats, aircraft and motor cars shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

INTERNATIONAL TRAFFIC

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. Income derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.

3. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

4. For the purposes of this Article interest on funds connected with the operation of ships or aircraft` in international traffic shall be regarded as income derived from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

5. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operation agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

 (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or

 (ii) the Central Bank of the other Contracting State; or any other bank or Governmental financial institutions/agencies that may be mutually agreed upon between the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, films or tapes or other means of reproduction for radio or television broadcasting, satellite or cable transmission for broadcasting to the general public through any form of electronic media, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or any industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience(know-how).

(b) The term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares, other than those mentioned in paragraph 4, in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

 (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

 (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that State is substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political sub-divisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

 (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 (i) is a national of that State; or

 (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on:

(a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and

(b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding US$ 1000 or its equivalent amount during any fiscal year,

as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

4. For the purposes of paragraph 1 "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In the case of Croatia double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Republic of Croatia derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, Republic of Croatia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in India.

3. In the case of India double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Republic of Croatia, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Croatia whether directly or by deduction at source. Such amount shall not however exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Croatia.

4. Income which in accordance with the provisions of this Agreement, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursement paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a

national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents), as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 (b) to supply information or documents which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

3. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 2 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4. In no case shall the provisions of paragraph 2 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraphs 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be:

(a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or

(b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection.

The competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 28

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Agreement shall have effect:

(a) in Croatia: in respect of income or profits arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Agreement enters into force; and

(b) in India: in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination in writing at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in Croatia: in respect of income or profits arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given;

(b) in India: in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in two originals at Zagreb this 12th day of day of February, 2014 in the Croatian, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA	**FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA**
(Smt. Preneet Kaur)	**(Mr. Slavko Linic)**
Minister of State for External Affairs	**Minister of Finance**

PROTOCOL

At the signing of the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following shall form an integral part of the Agreement.

Ad Articles 10, 11, 12 and 13

(a) Notwithstanding the provisions of this Agreement, a company resident in a Contracting State in which persons who are not residents of that State hold, directly or indirectly, a participation of more than 50 per cent of the share capital, shall not be entitled to the relieves provided for by the Agreement in respect of dividends, interest, royalties and capital gains arising in the other Contracting State. This provision shall not apply where the said Company is engaged in substantive business operations, other than the mere holding of shares or property, in the Contracting State of which it is a resident.

(b) A company which under the preceding subparagraph would not be entitled to the benefits of the Agreement in respect of the aforementioned items of income, could still be granted such benefits if the competent authorities of the Contracting States agree under Article 25 of the Agreement that the establishment of the company and the conduct of its operations are founded on sound business reasons and thus do not have as its primary purpose the obtaining of such benefits.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in two originals at Zagreb this 12th day of February, 2014 in the Hindi,English and Croatian languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA	**FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA**
(Smt. Preneet Kaur)	**(Mr. Slavko Linic)**
Minister of State for External Affairs	**Minister of Finance**

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.